

1678

(u)

**हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग**

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the

Sub:- Diversion of 0.075 hectare of additional forest land in favour of Deputy Director, Animal Husbandry/Breeding Shimla for the construction of Government Veterinary Hospital at Banuna, within the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB208/2009 - CHA दिनांक 08-04-2013 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 0.075 hectare of additional forest land in favour of Deputy Director, Animal Husbandry/Breeding Shimla, for the construction of Government Veterinary Hospital at Banuna, within the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh, को उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- 2 प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष बाधक नहीं है अतः कोई वृक्ष काटा नहीं जायेगा।
- 3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार ए-10 Malgi Kothi में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 17,812/- (सत्रह हजार आठ सौ बारह मात्र) की राशि से कुल 0.15 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- 4 An undertaking by the user agency to pay the additional NVP, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India be obtained & sent to the O/o MoEF, GoI, Northern Region, Chandigarh.
- 5 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा उपाय / पूर्व उपाय दृढ़तापूर्वक किये जायेंगे।
- 6 सीमेंट कंक्रीट के खम्भों जिन पर आगे तथा पीछे कम संख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये।
- 7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 8 यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

1/7/14
2
KCCF/FCM

681
9/5/12
95

- 9 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अन्तर्गत पूर्व में जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB208/2009 - CHA दिनांक 08-04-2013 में जारी सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 10 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Shimla.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the, ... 6-5-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of condition contained from Sr.No. 1-10 in the above order
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001.
5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
6. Deputy Director, Animal Health/Breeding shimla, Distt. Shimla, H.P.
7. CCF, Shimla /DFO Shimla Forest Division & Distt. Shimla H.P.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.